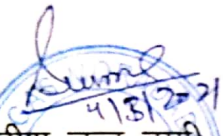
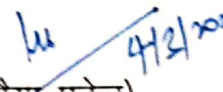
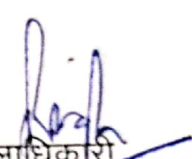


## प्रस्तावित संरक्षित वन भूमि का स्वामित्व/मूल्य प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि टोरेंट गैस मुरादाबाद लि०, मुरादाबाद द्वारा मुरादाबाद-चन्दौसी मार्ग (एन०एच०-509) के कि०मी० चैनल सं०- 16.150 से 16.500 तक बॉयी पटरी पर गैस पाइपलाईन बिछाने हेतु 0.6214 हे० संरक्षित वन भूमि का बिना वृक्ष पातन के गैर वानिकी प्रयोग हेतु आवेदित संरक्षित वन भूमि पर स्वामित्व लोके निर्माण विभाग/एन०एच०ए०आई० का है तथा वन सम्पदा की क्षतिपूर्ति हेतु वांछित वनीकरण की योजना तथा वृक्षारोपण पर होने वाले व्यय का भार वहन करने एवं केन्द्र सरकार द्वारा निर्धारित दरों पर भूमि के नेट प्रेजेन्ट वैल्यू (एन०पी०वी०) का भुगतान यदि आवश्यक होगा तो यह शर्त मान्य है तथा उनका अनुपालन किया जायेगा। अपेक्षित संरक्षित क्षेत्र/भूमि की माँग न्यूनतम है तथा इसके अतिरिक्त अन्य कोई विकल्प उपलब्ध नहीं है।

  
(सतीश चन्द्र वर्मा)  
सहायक महाप्रबन्धक,  
टोरेंट गैस मुरादाबाद लि०,  
मुरादाबाद।

  
(कन्हैया पटेल)  
प्रभागीय निदेशक,  
सामाजिक वानिकी प्रभाग,  
मुरादाबाद।

  
जिलाधिकारी  
मुरादाबाद।